पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल को लोकायुक्त ने 'वार्षिक प्रतिवेदन-2016' सौंपा

मुख्यमंत्री ने लोकायुक्त प्रतिवेदनों पर कार्यवाही हेतु पत्र भेजकर राज्यपाल को आश्वस्त किया

लखनऊः 16 जून, 2017

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक को आज लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा ने राजभवन में भेंट कर 'समेकित वार्षिक प्रतिवेदन-2016' प्रस्तुत किया। इस अवसर पर उप लोकायुक्त श्री शम्भू सिंह यादव, प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल सुश्री जूथिका पाटणकर एवं राज्यपाल के विधि परामर्शी श्री एस0एस0 उपाध्याय उपस्थित थे। लोकायुक्त ने अपने प्रतिवेदन में लोकायुक्त संस्था को प्राप्त भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों पर की गयी जाँच का विवरण देते हुए लोकायुक्त संगठन द्वारा प्राप्त शिकायतों पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, लोकायुक्त/उप लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत जांचोपरान्त सक्षम अधिकारी को भेजे गये प्रतिवेदन एवं विशेष प्रतिवेदनों का उल्लेख किया है। राज्यपाल द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन को आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्यमंत्री को प्रेषित किया जायेगा।

लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 की संसुगत धाराओं में प्राप्त प्रतिवेदनों के अन्वेषणोपरान्त कुल 8 प्रतिवेदनों को सक्षम प्राधिकारी (मुख्य सचिव) को भेजने तथा अधिनियम की धारा 12(5) के अंतर्गत 19 प्रतिवेदनोें के संबंध में विशेष प्रतिवेदन भेजने का उल्लेख किया है। लोकायुक्त ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन 2016 में प्राप्त शिकायतों का उल्लेख करते हुये बताया है कि वर्ष 2016 में माह जनवरी से दिसम्बर तक कुल 3,393 शिकायतें आम जन से प्राप्त हुयी थी जिस पर कार्यवाही करते कुल 3,083 शिकायतों का निस्तारण किया गया।

राज्यपाल की जानकारी हेतु मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने 14 जून, 2017 को पत्र प्रेषित करके कहा है कि लोकायुक्त जाँच प्रतिवेदनों पर त्वरित कार्यवाही हेतु राज्य सरकार कृत संकल्प है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में बताया है कि लोकायुक्त/उप लोकायुक्त के विशेष प्रतिवेदनों की नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु प्रमुख सचिव सतर्कता विभाग की अध्यक्षता में मासिक समीक्षा बैठक तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है। 4 विशेष प्रतिवेदनों को पिछले सत्र में विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और शेष विशेष प्रतिवेदनों पर कार्यवाही हेतु संबंधित विभागों को कड़े निर्देश जारी किये गये हैं। उन्होंने कहा कि आगामी बजट सत्र में अधिक से अधिक विशेष प्रतिवेदनों के स्पष्टीकरण ज्ञापन विधान मण्डल के पटल पर रखे जायेंगे।

उल्लेखनीय है कि राज्यपाल ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से लोकायुक्त के प्रतिवेदन/विशेष प्रतिवेदन पर कार्यवाही की जानकारी मांगी थी।

अंजुम/ललित/राजभवन (228/19)